न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या —956 / 2024

अनवान : —

1. रोशनी पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।

— **वादीया**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **प्रतिवादी**

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89</u>

उपस्थिति :— श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादीया**

पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> **दिनांकः** 06/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 11 / 12 की कुल 29.5800 हैक्ट भूमि में से 2491 / 14790 हिस्सा भूमि वादी मलुराम पुत्र जेठाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीया मलूराम की दत्तक पुत्री है तथा सदैव अपने मामा मलूराम के पास रहती है। उक्त वाद भूमि मलूराम की स्वयं अर्जित भूमि है। वादीया ने बतौर दत्तक पुत्री मलूराम की सेवा चाकरी की वादीया की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर मलुराम ने दिनांक 12.09.2001 को वादीया के पक्ष मं रोही मौजा असरजाना की उक्त वाद भूमि का वसीयतनामा वादीया के पक्ष में करवाया था उस वक्त वादीया की दत्तक माता अर्थात मलूराम की पत्नी जिवित थी इसलिए आधी भूमि का वसीयतनामा करवाया किन्तु वादिया की दत्तक माता मु0 जीरा पत्नी मलूराम का देहान्त दिनांक 17.09.2018 को होने के कारण स्व0 मलुराम ने पुनः एक वसीयत दिनांक 16.02.2024 को अपने समस्त हक हिस्सा की वसीयत वादीया की पक्ष में करवा दी।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वादी ने वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्यवादी जमाबंदी रोही मौजा असरजाना सम्वत 2075—78 खाता स0 11 / 12, चित्रप्रति वसीयतनामा 12.01.2001 व वसीयताना चित्रप्रति दिनांक 16.02.2024, मृत्यु प्रमाण पत्र मलूराम, मृत्यु प्रमाण पत्र मीरा पत्नी मलूरामग्राम पंचायत गंजा रूपाणा की तस्दीक बहक दरियाफ्त [illegible] पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वसीयत के संबंध में व[illegible] अर्जुनगर तथा अन्य व्यक्तियों बाबुराम, रामेश्वर, महेन्द्र ने शपथ पत्र पेश किये जो [illegible] शामिल मिसल किये [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:54:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मलूराम के नाम दर्ज है। वादीया मलूराम की दत्तक पुत्री है तथा सदैव अपने मामा मलूराम के पास रहती है। उक्त वाद भूमि मलूराम की स्वयं अर्जित भूमि है। वादीया ने बतौर दत्तक पुत्री मलूराम की सेवा चाकरी की वादीया की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर मलुराम ने दिनांक 12.09.2001 को वादीया के पक्ष मं रोही मौजा असरजाना की उक्त वाद भूमि का वसीयतनामा वादीया के पक्ष में करवाया था उस वक्त वादीया की दत्तक माता अर्थात मलूराम की पत्नी जिवित थी इसलिए आधी भूमि का वसीयतनामा करवाया किन्तु वादिया की दत्तक माता मु0 जीरा पत्नी मलूराम का देहान्त दिनांक 17.09.2018 को होने के कारण स्व0 मलुराम ने पुनः एक वसीयत दिनांक 16.02. 2024 को अपने समस्त हक हिस्सा की वसीयत दो गवाहान की उपस्थिति में वादीया की पक्ष में नोटेरी पब्लिक करवा है। अतः मुताबिक वसीयत वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 11/12 की कुल 29.5800 हैक्ट भूमि में से 2491/14790 हिस्सा भूमि वादी मलुराम पुत्र जेठाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत मल्लूराम पुत्र श्रीं जेठाराम द्वारा दिनांक 16.02.2024 को उक्त भूमि की वसीयत वादीया के पक्ष में दो गवाहन श्री रामकुमार पुत्र चन्द्रलाल जाति मेघवाल निवासी चक 34 आरडब्ल्यूडी व अर्जुनगर पुत्र श्री निकुराम जाति गुसांई निवासी लालपुरा की उपस्थिति में करवाई थी जो नोटेरी पब्लिक है। वादीया द्वारा प्रस्तुत मृत्युप्रमाण पत्र के मुताबिक मल्लुराम व मीरा पत्नी मलुराम का देहान्त हो चुका है। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाह श्री रामकुमार पुत्र चन्द्रलाल जाति मेघवाल निवासी चक 34 आरडब्ल्यूडी व अर्जुनगर पुत्र श्री निकुराम जाति गुसांई निवासी लालपुरा ने शपथ पत्र पेश किया की मल्लुराम ने रोही मौजा असरजाना में अपने नाम दर्ज समस्त भूमि की वसीयत वादीया के पक्ष में नोटेरी पब्लिक करवाई थी। वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका हे। उक्त वसीयत पर बतौर गवाहान हमारे हस्ताक्षर है। वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है उक्त वाद भूमि पर वादीया काबिज है। वसीयत के संबंध में श्री बाबुराम पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी मिर्जावाली, महेन्द्र पुत्र गंगाजल जाति मेघवाल निवासी 4 एसपीएम सरदारपुरा खालसा, रामेश्वरलाल पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी [illegible] द्वारा शपथ पत्र पेश किया गये । अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर [illegible] मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:54:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 11/12 की कुल 29.5800 हैक्ट भूमि में से 2491/14790 हिस्सा भूमि में मृतक मलूराम पुत्र जेठाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:54:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –956 / 2024

अनवान : –

1. रोशनी पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।

– वादीया

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 956 सन 2024 निर्णय दिनांक –04/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 11/12 की कुल 29.5800 हैक्ट भूमि में से 2491/14790 हिस्सा भूमि में मृतक मलूराम पुत्र जेठाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/11/2024 कों मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:54:06 IST
Reason: SelfAttested